

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--:कार्यालय आदेश:--

निम्नलिखित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का पदस्थापन संशोधन/स्थानान्तरण उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्र.स.	नाम व्याख्याता (श्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	संशोधित पदस्थापन स्थान (राउमावि)
1	नृसिंह राम	भूगोल	रजलानी-जोधपुर	बिराई बावडी-जोधपुर

परिवीक्षाधीन कार्मिकों पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे। सम्बन्धित व्याख्याता दिनांक- 25/10/16 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। उक्त कार्मिकों को योगकाल एवं यात्राभत्ता देय नहीं होगा। संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करावें। यदि कार्मिक (RVRES) से नियुक्त है तो शहरी क्षेत्र हेतु संबंधित संस्था प्रधान उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करावें।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा./संस्था/सी-5/पदस्थापन-स्थाना./2016-17 दिनांक 20/10/2016

- 1- विशिष्ट सहायक, मा.राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
- 2- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3- संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (मा) को निर्देशित किया जाता है कि हटने वाले व.अ. का समायोजन उससे संबंधित विषय के व.अ. का पद रिक्त हो तो उसी विधालय में करें अन्यथा निकटम विद्यालय में समायोजित करवाने का श्रम करावें।
- 4- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- 5- संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि / बा.राउमावि / डाईट को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
- 6- सम्बन्धित कार्मिक
- 7- निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर